



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248743
CG-DL-E-14092023-248743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3911]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945

No. 3911]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2023

का.आ. 4073(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 109 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 3009 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 21 अगस्त, 2019 और अधिसूचना संख्या का. आ. 4332 (अ) तारीख 29 नवंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 02 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, को अधिक्रांत करते हुए माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राज्य की बाबत उसके स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवस्थानों पर, भारत के राजपत्र (असाधारण) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से माल और सेवा कर अपील अधिकरण के राज्य न्यायपीठों का गठन करती है :-

सारणी

| क्र.सं. | राज्य का नाम | न्यायपीठों की संख्या | अवस्थान |
|---------|-----------------------------------|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1 | विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा |
| 2 | बिहार | 1 | पटना |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 1 | रायपुर और बिलासपुर |
| 4 | दिल्ली | 1 | दिल्ली |
| 5 | गुजरात | 2 | अहमदाबाद, सूरत और राजकोट |
| 6 | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | | |
| 7 | हरियाणा | 1 | गुरुग्राम और हिसार |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1 | शिमला |
| 9 | जम्मू-कश्मीर | 1 | जम्मू-श्रीनगर |
| 10 | लद्दाख | | |
| 11 | झारखंड | 1 | रांची |
| 12 | कर्नाटक | 2 | बेंगलुरु |
| 13 | केरल | 1 | एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम |
| 14 | लक्षद्वीप | | |
| 15 | मध्य प्रदेश | 1 | भोपाल |
| 16 | गोवा | 3 | मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी |
| 17 | महाराष्ट्र | | |
| 18 | ओडिशा | 1 | कटक |
| 19 | पंजाब | 1 | चंडीगढ़ और जालंधर |
| 20 | चंडीगढ़ | | |
| 21 | राजस्थान | 2 | जयपुर और जोधपुर |
| 22 | तमिलनाडु | 2 | चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर और पुदुचेरी |
| 23 | पुदुचेरी | | |
| 24 | तेलंगाना | 1 | हैदराबाद |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 3 | लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज |
| 26 | उत्तराखंड | 1 | देहरादून |
| 27 | अंदमान व निकोबार द्वीप समूह | 2 | कोलकाता |
| 28 | सिक्किम | | |
| 29 | पश्चिमी बंगाल | | |
| 30 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | गुवाहाटी आइजोल (सर्किट) अगरतला (सर्किट) कोहिमा (सर्किट) |
| 31 | असम | | |
| 32 | मणिपुर | | |
| 33 | मेघालय | | |

| | | | |
|----|----------|--|--|
| 34 | मिजोरम | | |
| 35 | नागालैंड | | |
| 36 | त्रिपुरा | | |

स्पष्टीकरण - 'सर्किट' के रूप में उपदर्शित अवस्थान ऐसी रीति में कार्यशील होंगे, जो राष्ट्रपति संबंधित राज्यों में पूर्तिकर्ताओं द्वारा फाइल की गई अपीलों की संख्या के आधार पर आदेश करें।

[फा. सं. ए-50050/150/2018-सीईएसटीएटी-डीओआर]

ऋत्तिक पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2023

S.O. 4073(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section 4 of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue's notification number S.O.3009(E), dated the 21st August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st August, 2019 and the notification number S.O.4332(E) dated the 29th November, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 02nd December, 2019, the Central Government, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, hereby constitutes the number of State Benches of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal as specified in column (3) of the table below, with respect to the State specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, at the location specified in corresponding entry in column (4) thereof, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary), namely:—

TABLE

| S.No. | State Name | No. of Benches | Location |
|-------|--|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Andhra Pradesh | 1 | Vishakhapatnam and Vijayawada |
| 2 | Bihar | 1 | Patna |
| 3 | Chhattisgarh | 1 | Raipur and Bilaspur |
| 4 | Delhi | 1 | Delhi |
| 5 | Gujarat | 2 | Ahmedabad, Surat and Rajkot |
| 6 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | | |
| 7 | Haryana | 1 | Gurugram and Hissar |
| 8 | Himachal Pradesh | 1 | Shimla |
| 9 | Jammu and Kashmir | 1 | Jammu and Srinagar |
| 10 | Ladakh | | |
| 11 | Jharkhand | 1 | Ranchi |
| 12 | Karnataka | 2 | Bengaluru |
| 13 | Kerala | 1 | Ernakulum and Trivandrum |
| 14 | Lakshadweep | | |
| 15 | Madhya Pradesh | 1 | Bhopal |
| 16 | Goa | 3 | Mumbai, Pune, Thane, Nagpur, Aurangabad and Panaji |
| 17 | Maharashtra | | |
| 18 | Odisha | 1 | Cuttack |
| 19 | Punjab | 1 | Chandigarh and Jalandhar |
| 20 | Chandigarh | | |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 21 | Rajasthan | 2 | Jaipur and Jodhpur |
| 22 | Tamil Nadu | 2 | Chennai, Madurai, Coimbatore and Puducherry |
| 23 | Puducherry | | |
| 24 | Telangana | 1 | Hyderabad |
| 25 | Uttar Pradesh | 3 | Lucknow, Varanasi, Ghaziabad, Agra and Prayagraj |
| 26 | Uttarakhand | 1 | Dehradun |
| 27 | Andaman and Nicobar Islands | 2 | Kolkata |
| 28 | Sikkim | | |
| 29 | West Bengal | | |
| 30 | Arunachal Pradesh | 1 | Guwahati Aizawl(Circuit) Agartala(Circuit) Kohima (Circuit) |
| 31 | Assam | | |
| 32 | Manipur | | |
| 33 | Meghalaya | | |
| 34 | Mizoram | | |
| 35 | Nagaland | | |
| 36 | Tripura | | |

Explanation — Locations shown as 'Circuit' shall be operational in such manner as the President may order, depending upon the number of appeals filed by suppliers in the respective States.

[F. No. A-50050/150/2018-CESTAT-DoR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.